पत्रवाहक द्वारा

संख्या-06/2017/101/12-4-17-415/2016

प्रेषक,

मंजू लता सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक : 12 मई 2017

विषय :- श्री राकेश कुमार, प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए, कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी (चतुर्थ), फिरोजाबाद की पत्नी श्रीमती कृष्णा देवी की चिकित्सा में व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या-ए0बी0-1/1969/विकास-1/चि0प्र0पू0, दिनॉक 23-01-2017 द्वारा शासन को प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2011 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री राकेश कुमार का प्रदेश के बाहर फोर्टिस हास्पिटल, नोयडा में दिनॉक 05-12-2015 से दिनॉक 27-12-2015 तक करायी गयी चिकित्सा में व्यय हुई कुल धनराशि रू0 11,42,774/- (रूपये ग्यारह लाख बयालिस हजार सात सौ चौहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित बिलों का भुगतान इससे पूर्व नही किया गया है तथा यदि इस निमित्त कोई चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया गया हो तो उसका समायोजन भी अवश्य कर लिया जाय।

3- प्रस्ताव से संबंधित प्रमाण पत्र/बिल बाउचर्स मूलरूप में संलग्न है।

4- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-11 के लेखा शीर्ष "2402-मृदा तथा जल संरक्षण-आयोजनेत्तर-101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण-03-मृदा सर्वेक्षण तथा परीक्षण कार्यक्रम योजना के मानक मद-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-G(2) 298/×/17, दिनॉक 11 मई, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक-यथोपरि।

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-06/2017/101(1)/12-4-2017, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) मुख्य चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद।
(3) कोषाधिकारी, फिरोजाबाद / भूमि संरक्षण अधिकारी, फिरोजाबाद।
(4) अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा।
(5) वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (सामान्य) अनुभाग-2,
(6) श्री राकेश कुमार, प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए, कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी (चतुर्थ), फिरोजाबाद । आज्ञा से,

(मंजू लता सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in